भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1196

जिसका उत्तर 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया गया

ईएमआई पर अधिस्थगन

1196. श्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी:
श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक बाध्यताओं को देखते हुए ईएमआई पर अधिस्थगन की घोषणा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अधिस्थगन की अवधि के लिए ईएमआई पर ब्याज माफ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बैंकों को क्या अनुदेश दिए गए हैं और इससे कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) चूंकि ईएमआई पर अधिस्थगन अवधि समाप्त हो चुकी है, अब बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण योजनाओं में आए परिवर्तन की स्थिति क्या है; और

(घ) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भी अपनी ऋण योजनाओं में परिवर्तन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 विनियामकीय पैकेज पर दिनांक 27.3.2020 और 23.5.2020 के परिपत्रों के द्वारा सभी उधारदात्री संस्थाओं को दिनांक 1.3.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया सभी सावधि ऋणों के संबंध में, दिनांक 1.3.2020 और 31.8.2020 के बीच देय सभी किस्तों (समान मासिक किस्तों या ईएमआई सहित) के भुगतान पर छः माह का अधिस्थगन प्रदान करने की अनुमति दी है।

(ख) से (घ): आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण दबाव से प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए समाधान संरचना पर दिनांक 6.8.2020 को परिपत्र जारी किया, जिसमें एनबीएफसी सहित उधारदात्री संस्थाओं को पात्र व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में उन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत करते हुए समाधान योजना को लागू करने के लिए सक्षम बनाने हेतु विवेकपूर्ण संरचना के तहत एक सुविधा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत लाभान्वित व्यक्ति के संबंध में उक्त संरचना में समाधान संरचना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिनांक 31.12.2020 तक समाधान योजना का लाभ प्राप्त करने और व्यक्तिगत ऋणों के मामले में लाभ 90 दिनों के भीतर कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है। यह संरचना एनबीएफसी सहित उधारदात्री संस्थाओं को ऋण की शर्तों में परिवर्तन के रूप में अपनी बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों के अनुसार, विभिन्न प्रकार की रियायतों की स्वीकृति के माध्यम से व्यक्तिगत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और कारपोरेट ऋण खातों वाले पात्र उधारकर्ताओं को अनुकूल राहत प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं:-

(i) ब्याज दर में परिवर्तन;

(ii) उधारदात्री संस्थाओं द्वारा ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि का त्याग;

(iii) दण्ड स्वरूप लगाए गए ब्याज की माफी;

(iv) आस्थगित भुगतान समयावधि के साथ संचित ब्याज का नए ऋण में परिवर्तन करना;

(v) ऋण की शेष समयावधि को अधिस्थगन के साथ या अधिस्थगन के बिना दो वर्ष तक बढ़ाना;

(vi) पुनर्भुगतान की पुनर्संरचना; और

(vii) अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति।

*****